

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्री पर्वत सिंह पिता किशोर सिंह जाति राजपुत तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 205/25 (वाद) GCMS No. – 2025/428

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा गाडवा पटवार हल्का तुलसीदासजी की सराय तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 126, 128, 30, 29 पर दर्ज आराजीयात भूमि में वादी का नाम भंवरसिंह पुत्र किशोरसिंह के बजाय भंवरसिंह उर्फ पर्वतसिंह पुत्र किशोरसिंह संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष सभी खाते यथावत रहेगें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.12.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

